न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी/टी.ए./2006/700/राजसमन्द

1– श्रीमती कमला (मृतक) पत्नी स्व. नरोत्तम के कायम मुकाम :–
(1) श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व. श्री नरोत्तम सनाढ्य विधवा भगवानदास सनाढ्य आयु व्यस्क, निवासी नाथद्वारा
(2) श्रीमती कृष्ण पुत्री नरोत्तम सनाढ्य पत्नी नवनीत सनाढ्य निवासी नाथद्वारा
(3) श्रीमती जशोदा पुत्री नरोत्तमदास सनाढ्य पत्नी प्रमोद कुमार सनाढ्य निवासी नाथद्वारा, हाल सूरत (गुजरात)

2– सुभाष पिता श्री नरोत्तमदास सनाढ्य, आयु व्यस्क, निवासी नाथद्वारा लालबाग ट्यूरिस्ट बंगला रोड, नाथद्वारा।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– श्री मदनलाल (मृतक) पिता रमणलाल के जरिये कायम मुकाम :–
1– श्रीमती विशाखा देवी पत्नी मदनलाल
2– जयन्त कुमार पुत्र मदनलाल
3– संतोष पुत्र मदनलाल
निवासीगण मंदिर पिछवाड़ा लम्बी गली, नाथद्वारा राजसमन्द।
4– रेणु पुत्री मदनलाल पत्नी बिहारीलाल, निवासी लोधा घाटी, बायला बड़ा बाजार, नाथद्वारा राजसमन्द।

.....रेस्पोडेन्टस

खण्ड–पीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य
डॉ श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :–
श्री पूर्णाशंकर दशोरा, अभिभाषक निगरानीकर्ता

श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक : 01 फरवरी, 2021

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 10–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की

गयी है। उक्त निगरानी के अतिरिक्त एक अपील संख्या–2006/663 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। चूंकि अपील व उक्त निगरानी कनेक्टेट की हुई हैं इसलिये इसको खण्ड–पीठ में सुना गया।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मदनलाल द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का एक वाद सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें मौजूदा निगरानीकर्ताओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दिनांक 8–3–1999 को की गयी, तत्पश्चात मदनलाल की साक्ष्य लेकर दिनांक 31–3–1999 को एकतरफा डिक्री पारित की गयी।

3– उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा ने उक्त एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत कथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 सीपीसी अपने निर्णय दिनांक 23–4–2003 को खारिज कर दिया परन्तु प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर मानते हुये मेरिट पर खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ताओं ने एक अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर कमलाबाई की अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निरस्त कर दी तथा साथ ही मदनलाल द्वारा किये गये क्रोस ऑब्जेक्शन अपील को भी निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4– प्रकरण में अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि मदनलाल द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का एक वाद सहायक कलेक्टर, नाथद्वारा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें मौजूद अपीलान्टस के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दिनांक 8–3–1999 को की गयी, तत्पश्चात मदनलाल की साक्ष्य लेकर दिनांक 31–3–1999 को एकतरफा डिक्री जारी की गयी जिसके विरूद्ध कमला व सुभाष द्वारा अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां की गयी तथा यह कहा कि सम्मन प्रार्थीगण के नाम जो जारी किये गये थे वह उन्हें नहीं मिले हैं तथा तामिलकुलिन्दा ने अपनी तामील रिपोर्ट में सम्मन लेने का कथन एवं तत्पश्चात उक्त सम्मन की प्रार्थीगण के मकान पर चस्पान्दगी करने का कथन किया गया जो गलत है। अपीलान्ट को कथित आदेश की जानकारी दिनांक 15–3–2002 को होना बताकर उस डिक्री व निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहां पेश की तथा मौजूदा विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि

उन्हें जानकारी बहुत पहले हो गयी थी क्योंकि सन् 2001 में उन्होंने पटवारी से राजस्व अभिलेखों की नकलें प्राप्त की, परन्तु यह कथन गलत व मिथ्या है।

5– बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर सुनी गयी।

6– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मेरिट पर द्वितीय अपील पेण्डिंग होते हुये आदेश–9 नियम–13 के प्रार्थना पत्र खारिज करने के विरूद्ध व प्रथम अपील खारिज करने के विरूद्ध प्रार्थीगण ने निगरानी न्यायालय के समक्ष पेश की है जो मेन्टीनेबल नहीं होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि आदेश–9 नियम–13 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार अगर किसी अपील का मेरिट पर फैसला कर दिया गया हो तथा आदेश–9 नियम–13 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया हो तथा उसके विरूद्ध निगरानी की गयी हो तो वह निगरानी मेन्टेनेबल नहीं है इस कारण निगरानी इन्फ्रेक्चुअस हो जाने से काबिल निरस्तनीय है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी इन्फ्रेक्चुअस हो जाने से उसे निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। अपनी बहस के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरआरटी–2004(2) पेज–876
2– एआईआर–2002 (एस.सी.) पेज–2286
3– एआईआर–2005 (एस.सी.) पेज–626

7– निगरानीकर्ताओं के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि दोनों प्रकरण अलग अलग हैं। जो अपील विचाराधीन है उसके वाद में कृष्णा, जशोदा व शकुंतला को पक्षकार नहीं बनाया गया था। जब इनकी माता कमला की मृत्यु हो गई तब उसके वारिसान के रूप में इनको पक्षकार बनाया गया है अतः दोनों प्रकरण पृथक पृथक हैं इसलिये यह निगरानी पोषणीय है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :–

1– आरआरडी–1990 पेज–20
2– आरआरडी–1987 पेज–476
3– एआईआर–1981 (Kar) **पेज–626**
4– आरबीजे–2010 पेज–468
5– आरआरडी–2010 पेज–24(बी)

कमला (मृतक) के जरिये कायम मुकाम :– **बनाम** **मदनलाल (मृतक) के जरिये कायम मुकाम :–**

8– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत नजीरों का भी गहनता से अध्ययन किया गया।

9– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त निगरानी न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 10–1–2006 में जो कि दो अपील क्रम संख्या–55/2003 व 69/2003 में एक साथ पारित किया था, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील संख्या–2006/663 अभी राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि जब अपील विचाराधीन है तो निगरानी पोषणीय नहीं है। एक ही निर्णय के विरूद्ध अपील व निगरानी पोषणीय नहीं है। प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री दिनांक 31–3–1999 को पारित हो गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–9 नियम–13 विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 23–4–2003 को खारिज हो गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर में प्रकरण संख्या–55/2003 प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–1999 के विरूद्ध एक अपील संख्या–69/2003 प्रस्तुत की। उक्त दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ दिनांक 10–1–2006 द्वारा किया गया। इस संबंध में सीपीसी के आदेश–9 नियम–13 में निम्न प्रावधान हैं :–

> **13– प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के लिये आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिन नियत करेगा :**
>
> **परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :**
>
> **(परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के**

लिये और वादी के दावे का उत्तर देने के लिये पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।)

(स्पष्टीकरण – जहां इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरूद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहा उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिये इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।)

इस प्रकार उक्त प्रावधान के अनुसार जब एक बार एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दी जाती है तब आदेश–9 नियम–13 सीपीसी के तहत कोई प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आदेश–9 नियम–13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के विरूद्ध पारित निर्णय के विरूद्ध अपील को खारिज कर दिया और धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी विवेचना को निरस्त कर दिया।

10– आरआरटी–2004(2) पेज–876 में राजस्व मण्डल ने निम्न अभिमत प्रकट किया है :–

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश–9 नियम–13–एकपक्षीय डिक्री–एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया–अपील भी साथ साथ पेश की– राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील खारिज की– राजस्व मण्डल ने 30–4–2002 को द्वितीय अपील भी खारिज की– विचारण न्यायालय ने 12–12–2002 को आवेदन खारिज किया– निगरानी–पोषणीयता–आदेश–9, नियम–13 के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत निगरानी पोषणीय नहीं है।

11– इसी प्रकार अभिमत एआईआर–2002 (एस.सी.) पेज–2286 में अधिकृत किया गया है :–

Civil P.C. (15 of 1908) Order 9, Rule 13, Explanation - Ex parte decree/award - Setting aside of - Procedure - Dismissal of apeal filed against ex parte decree / award on ground of limitation - It would bar subsequent application under Order 9, Rule 13 for setting aside ex parte decree/award.

C.R.P. 1345 of 2000 and R.P. No. 104/2001, D/- 11-12-2000 and 3-4-2001 (Kant), Reverse.

12– एआईआर–2005 (एस.सी.) पेज–626 में भी इस तरह का अभिमत प्रकट किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

> **(A) Civil P.C. (15 of 1908) Order 9, Rule 13, Order 43, Rule 1, Ss. 96(2), 11 - Ex parte decree - Remedies available against - Defendant can file appeal or can file application under Order 0 Rule 13 to set aside ex parte decree - Once application under Order 9, Rule 13 is dismissed - He cannot by filing first appeal dispute correctness of order posting suit for ex parte hearing or show cause for his non-appearance.**

13– निगराकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वे सम्मन की तामील होने न होने के संबंध में हैं। प्रश्न तामील होने या ना होने का नहीं है। प्रश्न है कि जब अपील संख्या–2006/663 समान पक्षकार के मध्य एक ही आराजी को लेकर विचाराधीन है तो उसी मामले में निगरानी पोषणीय है या नहीं? इस बिन्दु पर उन्होंने कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

14– अतः सीपीसी के प्रावधान आदेश–9 नियम–13 के प्रावधान व पैरा–9, 10, 11 में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में प्रकट किये गये अभिमत के अनुसार जब अपील संख्या–2006/663 उभय पक्षकारान के मध्य विचाराधीन है तब यह निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील पत्रावली संख्या–2006/663 के साथ संलग्न की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ श्रवण कुमार बुनकर)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

कमला (मृतक) के जरिये कायम मुकाम :– बनाम मदनलाल (मृतक) के जरिये कायम मुकाम :–